

प्ररूप आ.क.वि-7	<b>भारतीय आयकर विवरणी</b>	निर्धारण वर्ष					
	[उन व्यक्तियों के लिए, जिनके अंतर्गत कंपनियां भी हैं, जिनसे केवल धारा 139 (4क) या धारा 139 (4ख) या धारा 139(4ग) या धारा 139(4घ) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है]	2	0	2	0	-	2
	(कृपया आय-कर नियम, 1962 का नियम 12 देखिए)						
	(कृपया मार्गदर्शन के लिए अनुदेश देखें)						

## भाग क-साधारण

नाम (सृजन/स्थापन/निगमन/विरचना संबंधी विलेख में यथावर्णित)		स्थायी लेखा संख्यांक					
फ्लैट/द्वार/ब्लाक सं०	परिसर/भवन/ग्राम का नाम	विरचना/निगमन की तारीख (तारीख/मास/वर्ष) / /					
सड़क /मार्ग/डाक घर	क्षेत्र/अवस्थान	प्रास्थिति	<input type="checkbox"/>	उपप्रास्थिति	<input type="checkbox"/>		
नगर/शहर/जिला	राज्य	(निदेश पैरा 11ख देखें)	<input type="checkbox"/>	(निदेश पैरा 11ख देखें)	<input type="checkbox"/>		
कार्यालय का दूरभा-1 संख्या एसटीडी कोड सहित/ मोबाइल सं.	फैक्स सं. / मोबाइल सं.2	ई मेल पता 1					
		ई मेल पता 2					
क्या निर्धारित द्वारा कोई परियोजना/संस्था चलाई जा रही है? (हां/नहीं) यदि हां तो कृपया ब्यौरे दें:							
आपके द्वारा चलाई जा रही परियोजना/संस्थाओं का ब्यौरे							
क्रम सं.	परियोजना/संस्था का नाम (पैरा 11गक के अनुदेश देखें)	क्रियाकलाप की प्रकृति (अनुदेश पैरा 11घ देखें)	वर्गीकरण (अनुदेश पैरा 11घ देखें)				
1							
2							
3							
4							
आयकर अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन के ब्यौरे (आज्ञापक हैं, यदि रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अपेक्षित हों)							



(छ)	क्या यह विवरणी किसी प्रतिनिधि निर्धारिती द्वारा फाइल की गई है (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	
	यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित जानकारी दें-	
(1)	प्रतिनिधि का नाम	
(2)	प्रतिनिधि की हैसियत (ड्रापडाउन का उपबंध किया जाए)	
(3)	प्रतिनिधि का पता	
(4)	प्रतिनिधि का स्थायी लेखा संख्या (पेन)/ आधार सं.	
(ज)	क्या आप किसी फर्म में भागीदार है? (निशान लगाएं) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां तो निम्नलिखित जानकारी दें	
	फर्म का नाम	स्थायी खाता संख्यां

(झ)	क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय आसूचिबद्ध साधारण शेयर धारित किए हैं (निशान लगाएं) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
	यदि हां तो कृपया साधारण शेयरों के संबंध में निम्नलिखित जानकारी दें।

कंपनी का नाम	कंपनी का प्रकार	पैन	आरंभिक अतिशेष		वर्ष के दौरान अर्जित शेयर					वर्ष के दौरान अंतरित शेयर		अंत अतिशेष	
			शेयरों की सं.	अर्जन की लागत	शेयरों की सं.	अभिदाय/क्रय की तारीख	प्रतिशेयर अंकित मूल्य	प्रतिशेयर निर्गमन मूल्य (नए निर्गमन की दशा में)	प्रतिशेयर क्रय मूल्य (विद्यमान शेयर धारक से क्रय की दशा में)	शेयरों की सं.	विक्रय प्रतिफल	शेयरों की सं.	अर्जन की लागत
1क	1ख	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

अन्य ब्यौरे	क	i	क्या आपके द्वारा चलाए जा रही किसी परियोजना/संस्था पूर्व प्रयोजनों में से एक प्रयोजन साधारण लोक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य की अभिवृद्धि करने का है यदि हां, तो											
		क	i	क्या धारा 2(15) के परंतुक में निर्दिष्ट व्यापार, वाणिज्य या कारबार की प्रकृति का कोई क्रियाकलाप है ?							<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं			
			ii	यदि हां, ऐसे क्रियाकलापों से प्राप्ति का प्रतिशत के साथ-साथ कुल प्राप्तियां							%			
		ख	i	क्या धारा 2(15) के परंतुक में यथानिर्दिष्ट किसी प्रतिफल के लिए किसी व्यापार, वाणिज्य या कारबार के संबंध में कोई सेवा प्रदान करने का कोई क्रियाकलाप है ?							<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं			
			ii	यदि हां, ऐसे क्रियाकलापों से प्राप्ति का प्रतिशत के साथ-साथ कुल प्राप्तियां							%			
		ii	यदि क अथवा ख हां है तो ऐसी संस्था के संबंध में क्रियाकलापों से कुल वार्षिक प्राप्तियां											
		क्र.	प्रयोजन/संस्था का नाम							ऐसे क्रियाकलापों से कुल वार्षिक प्राप्तियां की राशि				
		क												
		ख												



	ड	संपरीक्षा रिपोर्ट की तारीख					
	च	संपरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख ...../...../..... तारीख/मास/वर्ष					
	झ	यदि आय-कर अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियम के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी हैं, अधिनियम, धारा और संपरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख उल्लिखित करें।					
		अधिनियम और धारा	(दिन/मास/वर्ष)	अधिनियम और धारा	(दिन/मास/वर्ष)		
	ञ	व्यक्तियों की विशिष्टियां जो 31 मार्च, 2020 को ए ओ पी सदस्यों में थे (पूजी/विनिधान निधि) द्वारा भरा जाए।					
सदस्य की जानकारी		क्रम सं.	नाम और पता	शेयर की प्रतिशतता (यदि अवधारित करें)	पैन आई.डी.	आधार/नामांकन	प्रास्थिति
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

### विवरणी प्ररूप की अनुसूचियाँ (यथा लागू करें)

अनुसूची अ

धारा 11(2) के अर्थातगत या धारा 10(23ग) के तीसरे परंतुक के निबंधनानुसार संचित/पृथक् के ब्यौरे

संचयन का वर्ष ( वित्तीय वर्ष)	संचयन के वर्ष में संचित रकम	संचयन का प्रयोजन	पूर्ववर्ती वर्ष की शुरुआत तक पूर्व/रकम धार्मिक प्रयोजन के लिए अनुप्रयुक्त राशि	धारा 11(5) में विनिर्दिष्ट रीति से विधिधान या जमा रकम	पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान पूर्व या धार्मिक उपयोग में की गई रकम	उपयोग के लिए अतिशेष-न रकम (7) = (2) - (4) - (6)	धारा 11 की उपधारा (3) के अर्थातगत आय समझी जाने वाली रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2014-15							
2015-16							
2016-17							
2017-18							
2018-19							
2019-20							
योग							

अनुसूची अ

पिछले वर्ष के अंतिम दिन को निधियां और विनिधान दर्शित करने वाला कथन [तभी भरा जाए, यदि धारा 12क/12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या

धारा 10(23ग)(iv)/10(23ग)(v)/ 10(23ग)(vi)/10(23ग)(viक)/10(21) के अधीन अनुमोदित है।

अ	(i)	पूर्ववर्ती वर्ग अंतिम दिन को यथाविद्यमान का संचित निधि में अतिशे-1	.....रु.				
	(ii)	पूर्ववर्ती वर्ग के अंतिम दिन को यथाविद्यमान गैर संचित निधि में अतिशे-1	.....रु.				
आ	धारा 11(5)के अधीन किए गए विनिधान/जमाराशियों का ब्यौरा						
क्र.सं.	धारा 11(5) के अनुसार विनिधान	विनिधान की तारीख	परिपक्वता की तारीख	विनिधान की रकम	परिपक्वता पर रकम		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
i	सरकार के बचत स्कीम में विनिधान						
ii	डाक घर बचत बैंक खाता						
iii	धारा 11(5)(iii)के अनुसार अनुसूचित बैंक या सहकारी सोसाइटियों में जमा						
iv	भारतीय यूनिट ट्रस्ट में विनिधान						
v	कोई अन्य						
vi	योग						
इ	उस (समुत्थानों) में, जिनमें धारा 13(3) में निर्दिष्ट व्यक्तियों का सारवान् हित है, पूर्व वर्ग (पूर्व वर्गों) के दौरान किसी समय धारित विनिधान						
क्रम सं.	समुत्थान का नाम और पता	जहां समुत्थान कोई कंपनी है जैसे लागू हो <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं	धारित शेयरों की संख्या	धारित शेयरों का वर्ग	विनिधान का अभिहित मूल्य	विनिधान से आय	क्या स्तंभ (6) में वर्णित रकम पूर्ववर्ग के दौरान समुत्थान की पूंजी के पांच प्रतिशत से अधिक है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i		<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं					<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
ii		<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं					<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
iii		<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं					<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
iv		<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं					<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
v		<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं					<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
vi		<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं					<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
	योग						
ई	पूर्ववर्ग के अंतिम दिन को यथा विद्यमान अन्य विनिधान						

विनिधान निधियों का ब्यौरा

क्रम सं.	समुत्थान का नाम और पता	क्या समुत्थान कोई कंपनी है (जैसा लागू हो <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं)	धारित शेयरों का वर्ग	धारित शेयरों की संख्या	विनिधान का अभिहित मूल्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
i		<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं			
ii		<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं			
iii		<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं			
iv		<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं			
v	योग				
उ	ऐसे स्वैच्छिक अभिदाय/संदान, जो वस्तु रूप में प्राप्त किए गए हैं किंतु जिन्हें उपबंधित समय के भीतर धारा 11(5) के अधीन विनिर्दिष्ट ढंगों में विनिधानों में संपरिवर्तित नहीं किया गया है				
क्रम सं.	दाता का नाम और पता	अभिदाय/संदान का मूल्य	उद्देश्य के मद्दे लागू अभिदाय का मूल्य	धारा 11(5) के अधीन विहित ढंगों में (3) में से विनिहित की गई रकम	धारा 11(3) के अधीन आय माना जाने वाला अतिशेन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
i					
ii					
iii					
iv	योग				

**अनुसूची ट** न्यास या संस्था के न्यासकर्ता (न्यासकर्ताओं)/ संप्रवर्तक (संप्रवर्तकों)/न्यासी (न्यासियों)/प्रबंधक (प्रबंधकों) आदि के बारे में विशिष्टियों का विवरण (आईटीआर-7 भरने वाले सभी व्यक्तियों द्वारा भरा जाना अनिवार्य है)

अ	न्यासकर्ता(न्यासकर्ताओं)/संप्रवर्तकों/व्यवस्थापनकर्ता यदि जीवित हैं, का/के नाम और पता/पते		
क्रम सं.	नाम और पता	स्थायी खाता संख्यांक	आधार संख्या/नामांकन आईडी (यदि उपलब्ध हो)
आ	उस व्यक्ति (उन व्यक्तियों) का (के) नाम, जो पूर्व वर्ग (पूर्व वर्गों) के दौरान न्यासी/प्रबंधक था/थे		
क्रम सं.	नाम और पता	स्थायी खाता संख्यांक	आधार संख्या/नामांकन आईडी (यदि उपलब्ध हो)

इ	उस व्यक्ति (उन व्यक्तियों) का (के) नाम जिसने (जिन्होंने) धारा 13(3)(ख) के निबंधनों के अनुसार न्यास/संस्था में पर्याप्त अभिदाय किया है		
क्रम सं.	नाम और पता	स्थायी खाता संख्यांक	आधार संख्या/नामांकन आईडी (यदि उपलब्ध हो)
ई	न्यासकर्ता (न्यासकर्ताओं), संप्रवर्तक (संप्रवर्तकों), न्यासी (न्यासियों), प्रबंधक (प्रबंधकों) और सारवान् अभिदायकर्ता (अभिदायकर्ताओं) का (के) नाम और जहां कोई ऐसा न्यासकर्ता, संप्रवर्तक, न्यासी, प्रबंधक या सारवान् अभिदायकर्ता कोई हिंदू अभिभक्त कुटुंब है तो उस कुटुंब के सदस्यों और उनके नातदारों के भी नाम		
क्रम सं.	नाम और पता	स्थायी खाता संख्यांक	आधार संख्या/नामांकन आईडी (यदि उपलब्ध हो)

## अनुसूची एक

## राजनैतिक दल

1	क्या लेखा बहियां रखी गई थीं ? जैसे लागू हों <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
2	क क्या वर्ष के दौरान किसी व्यक्ति से 20 हजार रुपए से अधिक का कोई स्वैच्छिक अभिदाय प्राप्त किया गया था (लागू अनुसार <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं)	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
	ख यदि हां तो 20 हजार रुपए से अधिक का प्रत्येक स्वैच्छिक अभिदाय (निर्वाचन बंधपत्रों के रूप में अभिदायों से भिन्न) का अभिलेख (जिसमें ऐसे व्यक्ति का नाम और पता भी सम्मिलित है जिसने ऐसा अभिदाय किया है) रखा गया था ? (लागू अनुसार <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं)	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
3	क्या लेखाओं की संपरीक्षा की गई है ? जैसे लागू हो <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
	यदि हां तो निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें:-	
	क लेखा परीक्षा रिपोर्ट को प्रस्तुत करने की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	...../...../.....
	ख लेखा परीक्षा रिपोर्ट हस्ताक्षर करने वाले लेखापरीक्षक का नाम	
	ग लेखा परीक्षक की सदस्य संख्या	
	घ लेखा परीक्षक का नाम (स्वामित्व/फर्म)	
	ङ स्वामित्व/फर्म रजिस्ट्रीकरण सं.	
	च लेखापरीक्षक की स्थायी खाता संख्या (पैन)/ आधार सं. (स्वामित्व/फर्म)	
	छ लेखा परीक्षक रिपोर्ट की तारीख	
4	क्या पाने वाले के खाते में देय बैंक या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा या बैंक खातेके माध्यम से इलेक्ट्रानिक समाशोधन प्रणाली का उपयोग करके या इलेक्ट्रानिक बंधपत्र के माध्यम से अन्यथा दो हजार रुपए से अधिक कोई संदान	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं

	प्राप्त किया गया था ? (लागू अनुसार <input checked="" type="checkbox"/> करें)	
5	क्या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ग की उपधारा (3) के अधीन उस वित्तीय वर्ष की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है ? जैसा लागू हो <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
6	यदि हां है तो रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख तारीख/ मास/ वर्ष	...../...../.....

अनुसूची ईटी		निर्वाचक न्यास	
निर्वाचक न्यास	1	क्या लेखा बहियां रखी गई थीं ?	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
	2	क्या प्रत्येक स्वैच्छिक अभिदाय का अभिलेख (जिसमें ऐसे व्यक्ति का नाम, पता और पैन भी सम्मिलित है, जिसने अभिदाय की पद्धति के साथ ऐसा अभिदाय किया है) रखे गए थे ? जैसा लागू हो <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
	3	क्या प्रत्येक ऐसे पात्र राजनैतिक दल का अभिलेख अनुरक्षित किया गया था जिसे वितरण योग्य अभिदायों का वितरण किया गया है (पात्र राजनैतिक दल का नाम, पता, पैन संख्या और रजिस्ट्रीकरण संख्या ? (लागू अनुसार <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं)	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
	4	क्या धारा 17गक(12) के अनुसार लेखाओं की संपरीक्षा की गई है ? (लागू अनुसार <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं)	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
		यदि हां तो प्ररूप 10खक में संपरीक्षा रिपोर्ट की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	___/___/___
	5	क्या नियम 17गक (14) के अनुसार रिपोर्ट आयकर आयुक्त या आयकर निदेशक को प्रस्तुत कर दी गई है ? जैसे लागू हों <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
	6	प्राप्त ऐच्छिक अभिदायों और वर्ष के दौरान वितरित रकम के ब्यौरे	
	i	1 अप्रैल को आरंभिक अतिशे-1	i
	ii	वर्ष के दौरान प्राप्त किया गया स्वैच्छिक अभिदाय	ii
	iii	योग (i+ii)	iii
iv	राजनैतिक दलों को वितरित रकम	iv	
v	न्यास के प्रशासन और प्रबंध पर खर्च की गई रकम (उपरोक्त क्रं सं. ii के 5% अथवा समावेशन के प्रथम वर्ष के लिए 5 लाख तथा बाद के वर्षों के लिए 3 लाख जो भी कम हो, तक सीमित)	v	
vi	योग (iv+v)	vi	
Vii	धारा 13ख के अधीन छूट के लिए उपयुक्त रकम (अनुसूची ईटी के क्रम सं. 6ii यदि 6iv में वितरित राशि 6iii के 95% है)(नियम 17गक के अनुसार)	Vii	
viii	31 मार्च को संवरण अतिशे-1	Viii	

अनुसूची वीसी		स्वैच्छिक अभिदाय (आईटीआर 7 भरते समय सभी व्यक्तियों द्वारा आज्ञापक रूप में भरा जाए)	
अ	स्थानीय		
	i	समग्र निधि संदान	आi

	ii	समग्र निधि संदान के अतिरिक्त	आii	
	(क)	सरकार से प्राप्त अनुदान		
	(ख)	कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अधीन कंपनियों से प्राप्त अनुदान		
	(ग)	अन्य विनिर्दिष्ट अनुदान		
	(घ)	अन्य संदान		
	(ङ)	कुल	आiiङ	
	iii	स्थानीय स्वैच्छिक अभिदाय (आं + आiiङ)	आiii	
आ	विदेशी अभिदाय			
	i	समग्र निधि संदान	आ i	
	ii	समग्र निधि संदान के अतिरिक्त	आ ii	
	iii	विदेशी अभिदाय ( आ i + आiii)	आ iii	
इ	कुल अभिदाय ( आiii + आiii)		इ	
ई	ई में सम्मिलित धारा 115खखग के अधीन प्रभार्य, अनाम अभिदाय			
	i	प्राप्त किए गए ऐसे अनाम अभिदाय का योग	i	
	ii	ई पर प्राप्त कुल अभिदाय का 5% या 1,00,000 जो भी ज्यादा हो	ii	
	iii	धारा 115 खखग के अधीन 30% (i – ii) की दर से प्रभार्य अनाम अभिदाय	iii	

## अनुसूची एआई

ऐच्छिक अभिदायों को अपवर्जित करके पूर्व के दौरान व्युत्पन्न कुल आय [धारा 11 और 12 के अधीन या धारा 10(23ग)(iv)/(v)/(vi)/(vi)के अधीन छूट का दावा करने वाले निर्धारितियों द्वारा भरा जाए]

आय का कुल जोड़	1	मुख्य उद्देश्यों से प्राप्तियां	1	
	2	अनुषंगी उद्देश्यों से प्राप्तियां	2	
	3	किराया	3	
	4	कमीशन	4	
	5	लाभांश आय	5	
	6	ब्याज आय	6	
	7	कृषि आय	7	
	8	पूँजी आस्ति के अंतरण पर शुद्ध प्रतिफल	8	
	9	कोई अन्य आय (रकम और प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)		
			प्रकृति	
	क	आय/क्षति के जरिए पास (अनुसूची पीटीआई भरे)	क	
	ख		ख	

	ग		ग		
	घ		घ		
	ङ	कुल (9क +9ख +9ग+9घ)	ङ		9ङ
10	कुल				10

**अनुसूची  
ईआर**

वर्ष के दौरान उपगत राजस्व व्यय और पूर्व वर्ष के दौरान न्यास/संस्था के कथित उद्देश्यों को लागू रकम-राजस्व खाता [धारा 11 और 12 के अधीन या धारा 10(23ग)(iv)/(v)/(vi)/(vi)के अधीन छूट का दावा करने वाले निर्धारितियों द्वारा भरा जाए]

			रकम
अ	स्थापन और प्रशासनिक व्यय		
1	किराए		1
2	मरम्मत और अनुरक्षण		2
3	कर्मचारियों को प्रतिकर		3
4	बीमा		4
5	कर्मकार और कर्मचारिवृंद कल्याण व्यय		5
6	मनोरंजन और आतिथ्य		6
7	विज्ञापन		7
8	वृत्तिक/परामर्शिक फीस / तकनीकी सेवाओं के फीस		8
9	विदेशी यात्रा के अतिरिक्त प्रवहण और यात्रा व्यय		9
10	न्यासियों को पारिश्रमिक		10
11	सरकार या किसी स्थानीय निकाय को संदत्त या संदेय दरें और कर (जिसमें आय पर कर अंतर्विष्ट नहीं है)		11
12	ब्याज		12
13	संपरीक्षा फीस		13
14	अवक्षयण और अपाकरण लागत जिसका पहले दावा नहीं किया गया है जो उस वर्ष या किसी अन्य पूर्व वर्ष में लागू है		14
15	अन्य व्यय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)		
	प्रकृति	रकम	
	क	क	
	ख	ख	
	ग	ग	
	घ	घ	
	ङ	कुल (15क + 15ख + 15ग + 15घ)	15
16	कुल (अ1 to अ15)		16

आ	न्यास/संस्था के उद्देश्यों पर व्यय		
1	संदान - कार्पस से भिन्न		
2	धार्मिक	2	
3	गरिबों के लिए अनुतोष	3	
4	शिक्षा	4	
5	योग	5	
6	चिकित्सा अनुतोष	6	
7	पर्यावरण संरक्षण	7	
8	समारकों आदि का संरक्षण	8	
9	सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता	9	
10	कुल (आ 1 to आ9)	आ10	
इ	नामंजूर किए जाने योग्य व्यय (इ1 + इ2 + इ3 + इ4)		इ
1	डूबंत ऋण	1	
2	उपबंध	2	
3	कायिक निधि का भाग बनाने वाला दान	3	
4	कोई अन्य नामंजूर किए जाने योग्य व्यय	4	
ई	वर्ष के दौरान उपगत कुल राजस्व व्यय (अ16 + आ10 + इ)		ई
उ	राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए निधि स्रोत		उ
1	पूर्व वर्ष के दौरान अर्जित संपत्ती/आय से व्युत्पन्न आय		1
2	धारा 11(1) के सपष्टीकरण 1 खंड 2 के अधीन किसी पूर्ववर्ती वर्ष में यथाउपयोजित समझी गई आय (तभी लागू होगा जब धारा 11 और धारा 12 के अधीन छूट का दावा किया गया हो)		2
3	15 प्रतिशत तक संचित या पृथक पूर्ववर्ती की आय		3
4	उधार ली गई निधि		4
5	कोई अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)		5
ऊ	पूर्व वर्ष के दौरान प्रयुक्त कुल राशि- राजस्व खाता [क16 + ख10 -इ2 - इ3 -इ4 - इ5]		ऊ

## अनुसूची ईसी

पूर्व वर्ष के दौरान भारत में पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए या न्यास/संस्था के कथित उद्देश्यों के लिए अनुप्रयुक्त रकम - पूंजीगत लेखा [धारा 11 और धारा 12 के अधीन या धारा 10(23ग)(iv)/(v)/(vi)/(vिक) के अधीन फाइल किया जाए]

		रकम
1	कार्य में प्रगति पूंजी कार्य के लिए अतिरिक्त (उसके लिए जिसे धारा 11(1अ) के अधीन छूट के लिए दावा नहीं किया गया है)	1

2	पूँजी आस्ति का अर्जन (आय के अनुप्रयोग के रूप में दावा नहीं किया गया तथा जिसके लिए धारा 11(1क) के अंतर्गत छूट का दावा नहीं किया गया है)			2	
3	धारा 11 (1क) के अधीन छूट के दावे के लिए नई आस्तियों की लागत (शुद्ध प्रतिफल तक निर्बंधित)			3	
4	अन्य पूँजी व्यय				
	क्र. सं.	प्रकृति		राशि	
	i		4i		
	ii		4ii		
	iii		4iii		
	iv	कुल व्यय (4i +4ii+4iii)		4iv	
5	कुल पूँजी व्यय (1 + 2 +3 +4)			5	
अ	पूँजी व्यय को पूरा करने के लिए निधि का स्रोत				
	1	पूर्व के दौरान संपत्ति से व्युत्पन्न आय		1	
	2	धारा 11(1) के स्पष्टीकरण 1 के खंड 2 के अधीन किसी पूर्ववर्ती वर्ष में यथाउपयोजित समझी गई आय		2	
	3	15 प्रतिशत तक संचित या पृथक पूर्व वर्ष की आय		3	
	4	उधार ली गई निधि		4	
	5	कोई अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)		5	
आ	पूर्व वर्ष के दौरान कुल राशि- पूँजी खाता [5 - क2 - क3 - क4 - क5]			आ	

## अनुसूची आईई-1

आय और व्यय विवरण (धारा 10(21), धारा 10(22ख), धारा 10(23कक), धारा 10(23ख), धारा 10(23घ), धारा 10(23चक), धारा 10(23ङग), धारा 10(23डघ), धारा 10(23डड), 10(23चख), धारा 10(29क), धारा 10(46), धारा 10(47) के अधीन और धारा 10 के अन्य खंड के अधीन छूट का दावा करने वाले निर्धारितियों को लागू, जहाँ आय बिना शर्त छूट प्राप्त है)

	1	कोई स्वैच्छिक अभिदाय सहित कुल प्राप्तियां	1	
	2	संस्था के उद्देश्य के मद्दे आय का उपयोजन	2	
	3	संचित आय	3	

## अनुसूची आईई-2

आय और व्यय विवरण (धारा 10(23क), धारा 10(24) के अधीन छूट का दावा करने वाले निर्धारितियों को लागू)

अ	1	कोई स्वैच्छिक अभिदाय सहित कुल प्राप्तियां	1	
	2	संस्था के उद्देश्य के मद्दे आय का उपयोजन	2	
	3	संचित आय	3	
आ	1	क्या आपकी कोई ऐसी आय है जो कराधेय है? यदि हां तो कृपया कराधेय के ब्यौरे उपलब्ध कराएं (चिह्नितकित) <input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
	क	गृह संपत्ति से आय (कृपया अनुसूची एचपी भरें)	1क	
	ख	कारबार या वृत्ति से आय (कृपया अनुसूची बीपी भरें)	1ख	

	ग	पूँजीलाभ से आय (कृपया अनुसूची सीजी भरें)	1ग	
	घ	अन्य स्रोत से आय (कृपया अनुसूची ओएस भरें)	1घ	

**अनुसूची आईई-3**

आय और व्यय विवरण (धारा 10(23ग)(iii)कख) या धारा 10(23ग)(iii)कग) के अधीन छूट का दावा करने वाले निर्धारितियों को लागू (कृपया प्रत्येक संस्था के लिए पृथक अनुसूची भरें):

1	संस्था के उद्देश्य (डापडाउन उपलब्ध किया जाए-शिक्षा/चिकित्सा):	
2	पता जहां क्रियाकलाप किए जाते हैं	
3	किसी स्वैच्छिक अभिदाय सहित कुल प्राप्तियां	
4	उपरोक्त क्रम सं.3 में से सरकारी अनुदान	
5	उद्देश्य के लिए अनुप्रयोजित रकम	
6	संचित अतिशेष	

**अनुसूची आईई-4**

आय और व्यय विवरण (धारा 10(23ग)(iii)कघ) या धारा 10(23ग)(iii)कड) के अधीन छूट का दावा करने वाले निर्धारितियों को लागू (कृपया प्रत्येक संस्था के लिए पृथक अनुसूची भरें):

1	संस्था के उद्देश्य (डापडाउन उपलब्ध किया जाए-शिक्षा/चिकित्सा):	
2	पता जहां क्रियाकलाप किए जाते हैं	
3	सकल वार्षिक प्राप्तियां	
4	उद्देश्य के लिए अनुप्रयोजित रकम	
5	संचित अतिशेष	

**अनुसूची गृह संपत्ति**

गृह संपत्ति से प्राप्त आय का ब्यौरा (कृपया अनुदेशों को देखें) (संपत्ति का स्वामित्व उपदर्शित करते हुए डापडाउन उपलब्ध किया जाए)

गृह संपत्ति	1	संपत्ति 1 का पता	नगर/ शहर	राज्य	पिन कोड / ज़िप कोड
		क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रवि-ट करें)			
		संपत्ति में आपके अंश की प्रतिशतता <input type="text"/>			
		सह स्वामी (स्वामियों) का नाम	सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्या/ आधार सं.	संपत्ति में अंश की प्रतिशतता	
		I			
	II				



4	"गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन आय (1झ + 2झ + 3) (यदि नकारात्मक है तो अनुसूची सीवाईएलए का अंक 2झ लें)	4
टिप्पण ▶	कृपया अनुसूची एसपीआई में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय और इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुसूची पीटीआई में निर्दिष्ट पास थ्रू आय सम्मिलित करें।	
टिप्पण ▶	किरायदार की स्थायी खाता संख्या/ आधार सं. देना आज्ञापक है, यदि धारा 194-झख के अधीन कर की कटौती की गई है।	
टिप्पण ▶	किरायदार का टीएएन देना आज्ञापक है, यदि धारा 194-झ के अधीन कर की कटौती की गई है।	

अनुसूची पूंजी अभिलाभ

पूंजी अभिलाभ

अ	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ		
1	आस्तियों से (शेयर/यूनिट जहां धारा 111क लागू होती है (एसटीटी संदत्त)		
क	प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	1 क	
ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां		
i	अर्जन की लागत	खां	
ii	सुधार की लागत	खii	
iii	अंतरण पर व्यय	खiii	
iv	योग (i + ii + iii)	खiv	
ग	अतिशेष (2क-खiv)	1ग	
घ	धारा 94(7) या धारा 94(8) के अधीन ध्यान में नहीं लाई गई हानि, यदि कोई हों (सकारात्मक मूल्य ही भरें)	1घ	
ङ	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (2ग+ 2घ)		अ1ङ
2	ऐसी आस्तियां, जहां धारा 112अ के अधीन परंतुक लागू नहीं होता है		
क	i	यदि विक्रीत आस्तियों में कोट न किए गए शेयरों से भिन्न कंपनी के शेयर सम्मिलित हैं तो निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें	
	क	कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्राप्त/प्राप्त किए जाने योग्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	
	ख	कोट न किए गए शेयरों के उचित बाजार मूल्य निर्धारित करने के तरीके	
	ग	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50गक के अनुसार कोट न किए गए शेयरों के संबंध में अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख से अधिक)	1ग

पूंजी अभिलाभ

	ii	कोट न किए गए शेयरों से भिन्न आस्तियों के संबंध में अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य			
	iii	कुल (iग + ii)	क iii		
ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां				
	i	अर्जन की लागत	खा		
	ii	सुधार की लागत	खii		
	iii	अंतरण पर व्यय	खiii		
	iv	योग (i + ii + iii)	खiv		
ग	अतिशेष-1 (2कiii - खiv)		2ग		
घ	धारा 94(7) या धारा 94(8) के अधीन ध्यान में नहीं लाई गई हानि, यदि कोई हो (सकारात्मक मूल्य ही भरें)		2घ		
ङ	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (2ग+ 2घ)			2ङ	
3	अवक्षयी आस्तियों पर माने गए अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (अनुसूची का 6-डीसीजी)			अ3	
4	अल्पकालिक पूंजीअभिलाभ की प्रकृति में पासशु आय, (अनुसूची पीटीआई भरें) (अ4क+ अ4ख + अ4ग)			अ4	
	क	15% की दर से प्रभार्य अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास	अ4क		
	ख	लागू दरों पर प्रभार्य अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास	अ4ख		
5	कुल अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (अ1ङ +अ2ङ +अ3 + अ4)			अ5	
आ	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ				
1	ऐसी आस्तियां, जहां धारा 112(1) के अधीन परंतुक लागू नहीं होता है				
	क	i	यदि विक्रीत आस्तियों में कोट किए गए शेयरों से भिन्न कंपनी के शेयर सम्मिलित हैं तो निम्नलिखित व्यौरे प्रविष्ट करें		
		क	कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्राप्त/प्राप्त किए जाने योग्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	ik	
		ख	कोट न किए गए शेयरों के उचित बाजार मूल्य निर्धारित करने के तरीके	ix	
		ग	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50गक के अनुसार कोट न किए गए शेयरों के संबंध में अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख से अधिक)	ig	
		ii	कोट न किए गए शेयरों से भिन्न आस्तियों के संबंध में अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क ii	
		iii	कुल (iग + ii)	क iii	
ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां				
	i	सूचीकरण के पश्चात् अर्जन की लागत	खा		

	ii	सूचीकरण के पश्चात् सुधार की लागत	खii			
	iii	अंतरण पर व्यय	खiii			
	iv	योग (खi + खii + खiii)	खiv			
	ग	अतिशे-1 (1कiii-खiv)	1ग			
घ	ऐसे दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ जहाँ धारा 112(1) के अधीन परंतुक लागू नहीं होता है			ख1घ		
2	ऐसी आस्तियाँ, जहाँ धारा 112(1)/112क के अधीन परंतुक लागू होता है (सूचीकरण के बिना)					
	क	प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	2क			
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ				
	i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	खi			
	ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	खii			
	iii	अंतरण पर व्यय	खiii			
	iv	योग (खi + खii + खiii)	खiv			
	ग	अतिशे-1 (2क-खiv)	2ग			
	घ	ऐसे दीर्घकालिक, जिनके लिए धारा 112(1)/ 112क के अधीन परंतुक का प्रयोग किया गया है (2ग)				आ2घ

3	दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास (अनुसूची पीटीआई भरें) (ख3क+ ख3ख)			ख3	
	a	10% की दर पर प्रभार्य दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय /क्षति के जरिए पास	आ3क		
	b	20% की दर पर प्रभार्य दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास	आ3ख		
4	कुल दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (आ1घ + आ2घ + आ3)			आ4	
इ	"पूँजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (अ 5+आ 4) (यदि हानि है तो आ4 कुछ नहीं के रूप में प्रविष्ट करें)			इ	

## अनुसूची-अन्य स्रोत

अन्य स्रोतों से आय

1	सामान्य लागू दरों पर कर से प्रभार्य सकल आय (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ)			1	
क	लाभांश, सकल			1क	
ख	व्याज, सकल (खi + खii + खiii + खiv)			1ख	
	i	बचत बैंक से	खi		
	ii	निक्षेपों से (बैंक/डाकघर/सहकारी/ सोसाइटी/)	खii		
	iii	आयकर प्रतिदाय से	खiii		
	iv	आय/क्षति के जरिए पास की प्रकृति में	खiv		
	v	अन्य	खv		
ग	मशीनरी, संयंत्रों, भवनों से किराए की आय			1ग	

घ	धारा 56 (2)(भ) में निर्दिष्ट में प्रकृति की आय जो कर से प्रभार्य है (घा + घाii + घाiii + घाiv + घाv)			1घ	
	I	प्रतिफल के बिना प्राप्त धन राशि का सकल मूल्य	घा		
	ii	यदि स्थावर संपत्ति बिना किसी प्रतिफल के प्राप्त की गई है, संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य	घाii		
	iii	यदि स्थावर संपत्ति अपर्याप्त प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य	घाiii		
	iv	प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई अन्य संपत्तियों की दशा में संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घाiv		
	v	यदि अन्य संपत्ति बिना पर्याप्त प्रतिफल के प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घाv		
ङ	कोई अन्य आय (अलग प्रकृति)			1 ङ	
	क्रं. सं.	प्रकृति	राशि		
		यथा अपेक्षित पंक्तियां जोड़ी जा सकती हैं			
उ2	कोई अन्य आय (कृपया प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)			1 उ	
2	विशेष दरों पर प्रभार्य आय (2क + 2ख + 2ग + 2घ + 2ङ क्रं.सं. 1 से संबंधित तत्व)			2	
क	लॉटरी, बर्ग पहेली आदि जीतने से हुई आय			2क	
ख	धारा 115खखड के अधीन प्रभार्य आय (खा + खाii + खाiii + खाiv + खv + खvi)			2ख	
	i	धारा 68 के अधीन उधार रोकड़	खाi		
	ii	धारा 69 के अधीन अस्पष्टीकृत विनिधान	खाii		
	iii	धारा 69क के अधीन अस्पष्टीकृत धन आदि	खाiii		
	iv	धारा 69ख के अधीन अप्रकटित विनिधान आदि	खाiv		
	v	धारा 69ग के अधीन अप्रकटित व्यय आदि	खv		
	vi	धारा 69घ के अधीन हुंडी पर उधार ली गई रकम या पुनःसंदाय रकम	खvi		
ग	विशेष दर पर प्रभार्य कोई अन्य (गि से गxiii का योग)			2ग	
	i	धारा 115क(1)(क)(i) के अधीन प्रभार्य अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या विदेशी कंपनी द्वारा प्राप्त लाभांश	गi		
	ii	धारा 115क(1)(क)(ii) के अधीन प्रभार्य सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त विदेशी करेंसी पर ब्याज	गii		
	iii	धारा 115क(1)(क)(iii) के अधीन प्रभार्य अवसंरचनात्मक ऋण निधि	गiii		
	iv	धारा 115क(1)(क)(iv) के अधीन प्रभार्य धारा 194ठग में निर्दिष्ट ब्याज	गiv		
	v	धारा 115क(1)(क)(v) के अधीन प्रभार्य धारा 194ठघ में निर्दिष्ट ब्याज	गv		
	vi	संवितरित आय जो धारा 115क(1)(क)(vi) के अधीन प्रभार्य धारा 194ठक में निर्दिष्ट ब्याज है	गvi		



ख	केवल 8क पर प्राप्तियों के संबंध में धारा 57 के अधीन कटौतियां	8ख						
ग	धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम	8ग						
घ	धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ	8घ						
ङ	अतिशेषन (8क - 8ख + 8ग + 8घ) (यदि ऋणात्मक है तो हानि की दशा में अनुसूची अग्रणीत हानियों 6xi के अंक प्रविष्टि करें)	8ङ						
9	“अन्य स्रोतों से आय” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (7 + 8ङ) (यदि ऋणात्मक है तो 8ङ में शून्य लिखें)						9	
10	अन्य स्रोतों से प्रोदभूत/प्राप्ति के बारे में जानकारी							
क्र.सं	अन्य स्रोत से आय	15/6 तक	16/6 से 15/9 तक	16/9 से 15/12 तक	16/12 से 15/3 तक	16/3 से 31/3 तक		
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)		
1	धारा 115खखक के अधीन लाभांश आय							
2	धारा 2(24)(ix) में निर्दिष्ट लॉटरी, वर्गपहेली, दौड़, खेल, झुत, बाज़ी लगाने आदि से जीत के रूप में आय							

अनुसूची ओए		साधारण	
	क्या कारबार और वृत्ति शीर्ष के अधीन आपकी कोई आय है ? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (यदि “हां” तो कृपया निम्नलिखित ब्योरे प्रवि-ट करें)		
1	कारबार या वृत्ति की प्रकृति (अनुदेश देखें)	1	
2	शाखाओं की संख्या <input type="checkbox"/>	2	
3	पूर्ववर्ष में लेखांकन की पद्धति <input checked="" type="checkbox"/> (का निशान लगाएं) <input type="checkbox"/> वाणिज्यिक <input type="checkbox"/>	3	
4	क्या लेखांकन पद्धति में कोई परिवर्तन किया गया है <input checked="" type="checkbox"/> (का निशान लगाएं) <input type="checkbox"/> हां	4	
5	धारा 145क के अधीन विहित लेखांकन मानकों से पूर्ववर्ष में की गई लेखांकन पद्धति में किए गए विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ पर प्रभाव	5	
6	पूर्ववर्ष में लागू बंध स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति	6	
क	कच्ची सामग्री (यदि लागत या बाजार दर, इनमें से जो भी कम हो, पर है तो 1 लिखें, यदि लागत पर है तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर है तो 3 लिखें)	<input type="checkbox"/>	
ख	तैयार माल (यदि लागत या बाजार दर, इनमें से जो भी कम हो, पर है तो 1 लिखें, यदि लागत पर है तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर है तो 3 लिखें)		
ग	क्या स्टॉक मूल्यांकन पद्धति में कोई परिवर्तन किया गया है, <input checked="" type="checkbox"/> (का निशान लगाएं) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>		
घ	धारा 145क के अधीन विहित मूल्यांकन की पद्धति से विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ या हानि पर प्रभाव	6घ	

अनुसूची कारबार या वृत्ति		कारबार या वृत्ति से आय की संगणना	
अ	सट्टा कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार के अतिरिक्त कारबार एवं वृत्ति धारा 11(4क) में संदर्भित कारबार आय सहित		
1	लाभ और हानि लेखा के अनुसार कर से पूर्व लाभ	1	
2	1 में सम्मिलित सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में - चिह्न प्रवि-ट करें)	2	
3	1 में सम्मिलित धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में - चिह्न प्रवि-ट करें)	3	
4	1 में सम्मिलित लाभ या हानि, जो धारा 44कघ/धारा 44कड में निर्दिष्ट है	4	
5	(1 में सम्मिलित) लाभ और हानि लेखा में जमा आय, जो छूट प्राप्त है		
	क फर्म (फर्मों) से आय का अंश	5क	

	ख	एओपी/बीओआई से आय का अंश	5ख		
	ग	कोई अन्य छूट प्राप्त आय	5ग		
	घ	कुल छूट प्राप्त आय	5घ		
6		अतिशेष (1 - 2 - 3 - 4 - 5घ)		6	
7		आय के अन्य शी-नों के विचाराधीन लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय	7		
8		लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय जो छूट प्राप्त आय से संबंधित है	8		
9		योग (7 + 8)	9		
10		समायोजित लाभ या हानि (6+9)		10	
11		धारा 33कख/ 33कखक/ 35कखख के अधीन समझी गई आय	11		
12		धारा 28 से 44घक के अधीन कोई अन्य मद या मदें	12		
13		लाभ और हानि लेखा में सम्मिलित न की गई कोई अन्य आय/ कोई अन्य व्यय जो अनुज्ञेय नहीं है (जिसके अंतर्गत ऐसी फर्मों से, जिसमें कंपनी भागीदार है, वेतन, कमीशन, बोनस और ब्याज से आय भी है)	13		
14		योग (10 +11+12+13)		14	
15		धारा 32(1)(iii) के अधीन अनुज्ञेय कटौती	15		
16		कोई अन्य रकम, जो कटौती के रूप में अनुज्ञेय है		16	
17		योग ( 15 +16)		17	
18		आय (14 - 17)		18	
19		कारबार या वृत्ति के निम्नलिखित के अधीन समझे गए लाभ या हानि			
	i	धारा 44कघ	19i		
	ii	धारा 44कघक	19ii		
	iii	धारा 44कड	19iii		
	iv	योग (19i से 19iii)		19iv	
20		सट्टे के कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (18 + 19iv)		20	
21		नियम 7क या 7ख लागू करने के पश्चात् कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (नियम 7क या 7ख लागू करने के पश्चात् विशेष-1 कारबार की दशा के सिवाय जो उपरोक्त 20 में है)		क21	
आ		सट्टे के कारबार से आय की संगणना			
24		लाभ या हानि लेखा के अनुसार सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि		24	
25		धारा 28 से 44घक के अनुसार परिवर्धन		25	
26		धारा 28 से 44घक के अनुसार कटौतियां		26	
27		सट्टे के कारबार से लाभ या हानि (24+25-26)		ख27	
इ		विनिर्दिष्ट कारबार से आय की संगणना		इ	
28		लाभ या हानि लेखा के अनुसार विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (यदि हानि है तो शून्य प्रवि-ट करें)		28	
29		धारा 28 से 44घक के अनुसार परिवर्धन		29	
30		धारा 28 से 44घक के अनुसार कटौतियां धारा- (i) 35कघ (ii) 32 या 35 के अधीन कटौती से भिन्न जिस पर धारा 35कघ के अधीन दावा किया जाता है)		30	
31		विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ या हानि (28+29-30)		31	
32		धारा 35कघ (1) के अनुसार कटौतियां		32	
33		विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ या हानि (31-32) (यदि हानि है तो शून्य प्रवि-ट करें)		इ 33	
		धारा 35कघ की उपधारा (5) के सुसंगत खंड जो विनिर्दिष्ट व्यवसाय को आच्छादित करता है			
ई		लाभ और अभिलाभ शी-न के अधीन प्रभार्य आय (अ23+ आ27 +इ33)		ई34	
उ		धारा 11(4) के अधीन कर से प्रभार्य आय की संगणना			
35		आय, जो कारबार उपक्रम के खाते में दर्शाई गई है [ धारा 11 (4) देखें]		उ35	
36		धारा 11(4) के अधीन कर से प्रभार्य आय [ ई34 - उ36]		उ36	

## अनुसूची सीवाईएलए

चालू वर्ग की हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय के व्यौरे

क्र. सं.	आय का शीर्ष/स्रोत	चालू वर्ग की आय	चालू वर्ग में मुजरा की गई गृह संपत्ति की हानि	चालू वर्ग में मुजरा की गई (सट्टेबाजी या विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न) कारबार हानि	चालू वर्ग में मुजरा की गई (घुड़दौड़ से हुई हानि से भिन्न) अन्य स्रोतों से हानि	मुजरा करने के पश्चात् चालू वर्ग की शेष आय
		(इस स्तम्भ को केवल तभी भरें जब आय शून्य हो या सकारात्मक हो)	कुल हानि (अनुसूची- (गृह संपत्ति का 4)	कुल हानि (अनुसूची कारबार वृत्ति का अ-21)	कुल हानि (अनुसूची-ओएस का 6)	
		1	2	3	4	5=1-2-3-4
	समायोजित की जाने वाली हानि					
i	गृह संपत्ति					
ii	कारबार (सट्टेबाजी आय और विनिर्दिष्ट कारबार से आय को छोड़कर)					
iii	सट्टेबाजी से आय					
iv	विनिर्दिष्ट कारबार से आय					
v	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ					
vi	दीर्घकालिक अभिलाभ					
vii	अन्य स्रोत (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रखने से लाभ और लाटरी की जीत को छोड़कर)					
viii	दौड़ के घोड़ों का स्वामित्व और रखने से लाभ					
ix	मुजरा की गई कुल हानि					
x	मुजरा करने के पश्चात् शेष हानि					

## अनुसूची पीटीआई

धारा 115क, 115पख के अनुसार कारबार न्यास या विनिवेश निधि के पास के माध्यम से आय के ब्यौरे

क्रम	धारा 115क/115पख द्वारा सम्मिलित निवेश सत्ता	कारबार न्यास/ विनिवेश निधि का नाम	कारबार न्यास/ विनिवेश निधि का स्थायी खाता संख्या	क्रम	आय का शीर्ष	चालू वर्ष आय	निवेश कोष द्वारा वितरित चालू वर्ष क्षति का हिस्सा	निवल आय/क्षति 9=7-8	ऐसी रकम पर ख़ोत पर कर कटौती, यदि कोई हों		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
1.	(ड्राप डाउन प्रदान किया जाना है)			i	गृह संपत्ति						
				ii	पूँजी अभिलाभ						
				क	अल्पकालिक अवधि						
				का	धारा 111क						
				काii	अन्य						
				ख	दीर्घकालिक अवधि						
				खा	धारा 112क						
				खाii	112क से भिन्न धाराएं						
				iii	अन्य ख़ोत						
				क	लाभांश (धारा115ण में संदर्भ)						
				ख	अन्य						
				iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी						
				क	धारा 10(23चखख) के अधीन						
				ख	धारा .....के अधीन						
ग	धारा.....के अधीन										
2.				i	गृह संपत्ति						
				ii	पूँजी अभिलाभ						
				क	अल्पकालिक अवधि						
				का	धारा 111क						
				काii	अन्य						

					ख	दीर्घकालिक अवधि				
					खा	धारा 112क				
					खii	112क से भिन्न धाराएं				
					iii	अन्य स्रोत				
					क	लाभांश (धारा 115-ण में संदर्भ)				
					ख	अन्य				
					iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी				
					क	धारा 10(23चखख) के अधीन				
					ख	धारा .....के अधीन				
					ग	धारा.....के अधीन				
टिप्पण ▶		इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को निर्देशित करें।								

**अनुसूची एसआई** विशेष दरों से प्रभार्य आय (कृपया अनुदेश देखें)

क्र. सं.	धारा	<input checked="" type="checkbox"/>	विशेष दर (%)	आय (i)	उस पर कर (ii)
1	111क (जहां एसटीटी संदत्त किया गया है वहां शेयरों पर एटीसीसी)	<input type="checkbox"/>	15		
2	112 परंतुक (सूचीकरण के बिना सूचीबद्ध प्रतिभूतियों/ यूनियों पर एलटीसीजी)	<input type="checkbox"/>	10		
3	112 (अन्य पर एलटीसीजी)	<input type="checkbox"/>	20		
4	112क (कारबार न्यास की साधार शेरों/यूनियों के साधारण शेरों/यूनियों पर एलटीसीजी, जिस पर एसटीटी संदत्त किया जाता है)	<input type="checkbox"/>	10		
5	115खख (लाटरी,पहेली, दौड़ों, खेल आदि से जीत)	<input type="checkbox"/>	30		
6	115 खखघक (घरेलू कंपनी से लाभांश आय जो 10 लाख रुपये से अधिक है)	<input type="checkbox"/>	10		
7	115 खखड (धारा 68, 69, 69क, 69ख, 69ग या 69घ के अधीन आय)	<input type="checkbox"/>	60		
8	विशेष दर पर कोई अन्य आय (ड्रापडाउन उपलब्ध किया जाए)	<input type="checkbox"/>		(अनुसूची ओएस के 2ग का भाग)	
9	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से आय	<input type="checkbox"/>		(अनुसूची ओएस के 2ड का भाग)	
10	15% की दर पर प्रभार्य अल्प कालिक पूंजीलाभ की प्रकृति में पासश्रू आय	<input type="checkbox"/>	15		

11	10% की दर पर प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजीलाभ की प्रकृति में पासश्रू आय	<input type="checkbox"/>	10		
12	20% की दर पर प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजीलाभ की प्रकृति में पासश्रू आय	<input type="checkbox"/>	20		
13	विशेष दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोत से आय की प्रकृति में पासश्रू आय	<input type="checkbox"/>			(अनुसूची ओएस का 2घ)
			योग		

## अनुसूची 115नघ

## धारा 115नघ के अधीन अभिवर्धित आय

1	न्यास/संस्था की कुल आस्ति की कुल संपूर्ण योग उचित बाजार मूल्य		1	
2	घटाएं—न्यास/संस्था का कुल दायित्व		2	
3	आस्ति का शुद्ध मूल्य (1-2)		3	
4	(i) धारा 10(1) में निर्दिष्ट आय से बाह्य अर्जित प्रत्यक्ष रूप से आस्ति की एफएमवी	4i		
	(ii) धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकरण की प्रभावी तारीख के लिए सृजन या स्थापन की तारीख से अवधि के दौरान अर्जित आस्तियों का एफएमवी और 12 के अधीन दावा नहीं किया गया	4ii		
	(iii) धारा 115नघ(2) के लिए तीसरे परंतुक के अनुसार अंतरित आस्तियों का एफएमवी	4iii		
	(iv) कुल (4i + 4ii + 4iii)		4iv	
5	उपर्युक्त 4 पर आस्तियों की बाबत दायित्व		5	
6	धारा 115नघ [3-(4iv-5)] के अनुसार अभिवृद्धि आय		6	
7	अधिकतम उपांतिक दर पर 115नघ के अधीन संदेय अतिरिक्त आय-कर		7	
8	115नघ के अधीन संदेय ब्याज		8	
9	धारा 115नघ के अधीन विनिर्दिष्ट ऋण		9	
10	अतिरिक्त आय-कर और संदेय ब्याज		10	
11	आय और संवत्त ब्याज		11	
12	संदाय/प्रत्यपण्य (10 - 11)		12	
13	अभिवर्धित आय पर कर पर कर के निक्षेप की तारीख	तारीख 1 दिन/मास/वर्ष	तारीख 2 दिन/मास/वर्ष	तारीख 3 दिन/मास/वर्ष
14	बैंक और शाखा का नाम			
15	बीएसआर कोड			
16	चालान की क्रम संख्या			
17	जमा की गई रकम			

अनुसूची- एफएसआई			भारत से बाहर होने वाली आय और कर राहत के ब्यौरे (निवासी के मामले में उपलब्ध)						
क्र.	देश कोड	कर संदायकर्ता पहचान संख्या	क्र.	आय के शीर्ष	भारत से बाहर आय (भाग ख-टीआई में सम्मिलित)	भारत के बाहर संदत्त कर	भारत में सामान्य उपबंधों के अधीन ऐसी आय पर कर संदेय	भारत में उपलब्ध कर राहत (ड) (ग) या (घ) जो भी कम हो	यदि धारा 90 या 90क के अधीन राहत कर दावा किया गया है तो डीटीए का सुसंगत अनुच्छेद
				(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड)	(च)
1			i	गृह संपत्ति					
			ii	कारबार या वृत्ति					
			iii	पूंजी अभिलाभ					
			iv	अन्य स्रोतों					
				कुल					
2			i	गृह संपत्ति					
			ii	कारबार या वृत्ति					
			iii	पूंजी अभिलाभ					
			iv	अन्य स्रोतों					
				कुल					
टिप्पण ▶		कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों के प्रतिनिर्देश करें							

अनुसूची-टीआर		भारत से बाहर संदत्त करों के लिए कर राहत की संक्षिप्त जानकारी (निवासी के मामले में उपलब्ध)			
1	दावाकृत चाहे गए कर राहत के ब्यौरे				
	देश का कोड	करदाता की पहचान सं०	भारत के बाहर संदत्त कुल कर प्रत्येक देश के संबंध में अनुसूची एफएसआई के (ग) का योग	अनुसूची एफएसआई में घोषित आय पर संदत्त कुल कर प्रत्येक देश के संबंध में अनुसूची एफएसआई के (घ) का योग	दावाकृत धारा के अधीन राहत (90,90क या 91 विनिर्दिष्ट करें)
	(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड)
			कुल		
2	जहां डीटीए लागू होता है, उस देश के संबंध में उपलब्ध कुल कर राहत (धारा 90/90क) (1(घ) के योग का भाग)				2
3	जहां डीटीए लागू नहीं होता है, उस देश के संबंध में राहत (धारा 91) (1(घ))				3

4	क्या भारत के बाहर कोई कर संदत्त है, जिस पर भारत में कर राहत अनुज्ञात है, उसे विदेशी कर प्राधिकरण द्वारा इस वर्ग के दौरान प्रतिदाय/प्रत्यय किया गया है। यदि हां तो ब्यौरा नीचे दीजिए	4	हां/नहीं
	क प्रतिदाय कर की रकम	ख	निर्धारण वर्ग जिसमें भारत में कर राहत अनुज्ञात है
टिप्पण ▶ कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों के प्रतिनिर्देश करें			

## अनुसूची वि.आ.

## भारत के बाहर किसी भी स्रोत से विदेशी आस्तियां और आय का ब्यौरा

विदेशी आस्तियों के ब्यौरे

अ1	सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी निक्षेप खाते के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र. सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्थानों का नाम	वित्तीय संस्थानों का पता	जिप कोड	खाता सं.	प्रास्थिति	खाता खोलने की तारीख	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंत अतिशेष	अवधि के दौरान खाते में संदत्त या जमा सकल ब्याज	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
(i)												
(ii)												
आ2	सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी अभिरक्षा खाते के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र. सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्थानों का नाम	वित्तीय संस्थानों का पता	जिप कोड	खाता सं.	प्रास्थिति	खाता खोलने की तारीख	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंत अतिशेष	अवधि के दौरान खाते में संदत्त/प्रत्यय सकल रकम (डाप डाउन उपबंधित किया जाए जिसमें रकम की प्रकृति विनिर्दिष्ट हो जैसे कि ब्याज/लाभांश/विक्रय से प्राप्तियां या वित्तीय आस्तियों का मोचन/अन्य आय	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
(i)												
(ii)												
अ3	सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय किसी इकाई द्वारा धारित विदेशी साधारण और ऋण ब्याज के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र. सं.	देश का नाम	देश का कोड	इकाई का नाम	इकाई का पता	जिप कोड	इकाई की प्रकृति	हित अर्जित करने की तारीख	निवेश का आरंभिक मूल्य	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंतमूल्य	अवधि के दौरान धृति के संबंध में संदत्त या जमा सकल रकम	अवधि के दौरान विक्रय से कुल सकल आगम या निवेश का कुल सकल मोचन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(i)												
(ii)												
अ4	सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी नकद मूल्य बीमा संविदा या वार्षिकी संविदा के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र. सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्था जिसमें बीमा संविदा की गई का नाम		वित्तीय संस्था का पता	जिप कोड	संविदा की तारीख	संविदा का नकद मूल्य या अभ्यर्पित मूल्य	अवधि के दौरान संविदा के संबंध में संदत्त या जमा सकल रकम			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
(i)												
(ii)												
ख	सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय किसी इकाई में धारित वित्तीय हित के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र. सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	अस्तित्व की प्रकृति	अस्तित्व का नाम और पता	ब्याज की प्रकृति-सीधे / फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी	रखने की तारीख से	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	ऐसे ब्याज से प्रोद्भूत आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज		
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												
ग	सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय अचल संपत्ति के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											



(ii)									
<b>टिप्पण</b>	कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें। व्यष्टि होने की दशा में भारतीय नागरिक न होने पर जो कि कारबार, नियोजन या छात्र वीजा पर भारत में है, पूर्व वर्ष के दौरान अर्जित आस्तिजिसमें वह अनिवासी था, को इस अनुसूची में रिपोर्ट करना आज्ञापक नहीं है यदि चालू पूर्व वर्ष के दौरान उस आस्तिसे कोई आय प्राप्त नहीं हुई है।								

<b>अनुसूची एसएच</b>		असूचीबद्ध कंपनी की शेयर धृति									
यदि आप असूचीबद्ध कंपनी हैं तो कृपया निम्नलिखित व्यौरे दें :-											
पूर्ववर्ष के अंत में शेयरधृति के व्यौरे											
शेयर धारक का नाम	भारत में निवासी प्रास्थिति	शेयर का प्रकार	पैन	अर्जन की तारीख	धारित शेयरों की संख्यां	प्रतिशेयर अंकित मूल्य	प्रतिशेयर निर्गम कीमत	प्राप्त रकम			
पूर्ववर्ष के अंत में आवंटन लंबित रहते हुए साधारण शेयर आवेदन धनराशि के व्यौरे											
शेयर धारक का नाम	भारत में निवासी प्रास्थिति	शेयर का प्रकार	पैन	आवेदन की तारीख	आवेदित शेयरों की संख्या	प्राप्त आवेदन की धनराशि	प्रतिशेयर अंकित मूल्य	प्रस्तावित निर्गम कीमत			
शेयरधारकों के व्यौरे जो पूर्ववर्ष के अंत में शेयर धारक नहीं हैं किन्तु पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय शेयर धारक थे											
शेयर धारक का नाम	भारत में निवासी प्रास्थिति	शेयर का प्रकार	पैन	धारित शेयरों की संख्यां	प्रतिशेयर अंकित मूल्य	प्रतिशेयर निर्गम कीमत	प्राप्त रकम	अर्जन की तारीख	तारीख जिसको वह शेयरधारक नहीं रहता है	अस्तित्वहीन होने की रीति	अंतरण की दशा में शेयरधारक की स्थायी खाता संख्या

## भाग - ख

## भाग ख- कुल आय

तारीख 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए आय का विवरण

आय का विवरण

	यदि धारा 12क/धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या धारा 10(23ग)(iv)/10(23ग)(v)/ 10(23ग)(vi) /10(23ग)(vik) के अधीन अनुमोदित, मद 1 से 7 को भरे (यथा लागू)		
1	समग्र निधि से भिन्न स्वैच्छिक अभिदाय [अनुसूची फग (का)R +ख)R]]	1	
2	धारा 11(1)(घ) के अनुसार समग्र का भाग करने वाला स्वैच्छिक अभिदाय [अनुसूची फग (का) +ख)]	2	
3	उपरोक्त 1 और 2 में सम्मिलित ऐच्छिक अभिदाय को अपवर्जित करके पूर्व वर्ष के दौरान वियुत्पन धारा 11, धारा 12 और धारा 13(23ग)(iv), 10(23ग)(v) और 10(23ग)(vik) में निर्दिष्ट कुल आय	3	
4	पूर्व या धार्मिक प्रयोजनों के लिए या न्यास/संस्था के कथित उद्देश्यों के लिए आय का उपयोग :-		
i	उधार ली गई निधि, समझा गया उपयोग, 15% तक पूर्ववर्ष के संचयन आदि से आवेदन को छोड़कर अर्थात् पूर्ववर्ष की आय से नहीं [अनुसूची ईआर से क्रम संख्या च/	4i	
ii	पूर्ववर्ष के दौरान उपयोग की गई रकम पूंजीलेखा (उधार ली गई निधियों से अनुपयोजन को छोड़कर) समझा गया 15% तक पूर्ववर्षी वर्ष संचयन अर्थात् पूर्ववर्षी वर्ष की आय से नहीं [अनुसूची ईसी से क्रम संख्या ख/	4ii	

iii	पूर्व वर्ष के दौरान उपयोजित रकम – राजस्व/पूजीगत लेखा (ऋण का प्रतिसंदाय)			4iii	
iv	धारा 11(1) के खंड (2) के अनुसार पूर्व वर्ष के दौरान उपयोजित की गई समझी गई रकम			4v	
क	यदि उपर्युक्त (iv) लागू हों, जहां निर्धारण अधिकारी को प्ररूप सं.9क देने का विकल्प है	4ivक			
	ख	यदि हां, प्ररूप सं. 9क देने की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	4ivख		
v	पूर्व या धार्मिक प्रयोजनों हेतु उपयोजन के लिए या न्यास/संस्था के कथित उद्देश्यों के लिए संचित या पृथक् रकम उस विस्तार तक जहां तक यह धारा 11(1)(क)/धारा 11(1)(ख) के अधीन या धारा 10(23ग) के तीसरे परंतुक के निबंधनों में न्यास/संस्था में धारित संपत्ति से व्युत्पन्न आय के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं है [उपरोक्त (2+3) के अधिकतम 15 प्रतिशत तक निर्बंधित]			4v	
vi	विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए संचित या पृथक् ऊपर (iv) में निर्दिष्ट रकम के अतिरिक्त रकम, यदि धारा 11(2) और धारा 11(5) या धारा 10(23ग) के तीसरे परंतुक में की गई सभी शर्तें पूरी हो जाती हैं (अनुसूची 1 भरे)			4vi	
vii	धारा 11(1)(ग) के अनुसार भारत से बाहर पूर्व प्रयोजनों के लिए उपयोजित रकम			4vii	
क	अनुमोदन संख्या और बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख	4vii क			
	ख	बोर्ड द्वारा दी गई अनुमोदन की तारीख	4vii ख		
Viii	कुल [4i + 4ii+4iii+4iv+4v+4vi+4vii]			4viii	
5	जोड़े				
i	धारा 11(1ख) के अधीन प्रभार्य आय			5i	
ii	धारा 11(3) के अधीन प्रभार्य आय			5ii	
iii	आय जिसके संबंध में धारा 11 के अधीन छूट उपलब्ध नहीं है				
क	अनुसूची वीसी के घांiii पर गुप्त दान	5iii क			
	ख	धारा 13(1)(ग) या 13(1)(घ) के अधीन अननुज्ञात (अनुसूची अ के भाग ड समेत)	5iii ख		
iv	धारा 12(2) के अधीन प्रयाय आय			5iv	
v	धारा 11(1) के अधीन अनुनुजेय रकम r.w.s 40(क)(िक) या 10(23ग) r.w.s 40(क)(िक)			5v	
vi	धारा 11(1) के अधीन अनुनुजेय रकम r.w.s 40अ(3)/(3अ) या 10(23ग) r.w.s 40अ(3)/(3अ)			5vi	
Vii	कुल [5i + 5ii+5iiiक +5iii ख +5iv+ 5v + 5vi]			5vii	
6	धारा 11(4) के अधीन प्रभार्य आय [ अनुसूची खत की मद सं. उ36 के अनुसार]			6	
7	योग (1+2+3-4viii + 5vii + 6)			7	
8	धारा 10(21), 10(22ख), 10(23क), 10(23क क क), 10(23ख) 10(23ङग), 10(23ङघ), 10(23ङड), 10(29क) के अधीन छूट के लिए उपयुक्त रकम			8	
9	धारा 10(23ग)(iii)कख), 10(23ग)(iii)कग), 10(23C) (iii कघ), 10(23ग) (iii कङ), 10(23घ), 10(23घक), 10(23घख), 10(24), 10(46), 10(47) के अधीन छूट के लिए उपयुक्त रकम			9	
10	धारा 10 के किसी अन्य खंड के अधीन छूट की उपयुक्त रकम (धारा 8 और धारा 9 से भिन्न)			10	

11	धारा 10(21) के साथ पठित धारा 11(3) के अधीन प्रभार्य आय	11	
12 क	किसी राजनैतिक के मामले में धारा 13क के अधीन दावा की गई/छूट प्राप्त आय	12 क	
12 ख	किसी चुनावी न्यास के मामले में धारा 13ख के अधीन दावा की गई/छूट प्राप्त आय	12 ख	

13	उपर्युक्त मद सं 7 से 12 का भाग नहीं बनने वाली आय		
	i	गृह संपत्ति से आय (अनुसूची जत का 4) (शून्य भरें यदि हानि)	13i
	ii	कारबार या वृत्ति का लाभ और अभिलाभ (अनुसूची खत की मद सं 34 के अनुसार)	13ii
	iii	शीर्ष अभिलाभ के अधीन आय	
	क	अल्पकालिक (अनुसूची गछ क5)	13iii क
	ख	दीर्घकालिक (अनुसूची गछ का ख4) (शून्य भरें यदि हानि हो)	13iii ख
	ग	कुल पूंजी अभिलाभ (13iii क + 13iii ख) (शून्य भरें यदि हानि हों)	13iii ग
	iv	अन्य स्रोतों से आय (अनुसूची णद की मद संख्या 9 के अनुसार)	13iv
	v	कुल (13i + 13ii + 13iii क + 13iv)	13v
14	सकल आय [7+11+13v-12क]		14
15	चालू वर्ग में 13v के विरुद्ध मुजरा की गई हानि (अनुसूची सीवाईएलए के 2ix, 3ix और 4ix का योग)		15
16	कुल आय (14 - 15)		16
17	धारा 111क, 112 आदि के अधीन विशेष-दर से आय पर प्रभार्य कर आदि जो 16 में सम्मिलित की गई है		17
18	कुल आय [16]		18
19	ऐसी आय जिसे 18 में सम्मिलित किया गया और विशेष-दरों पर कर से प्रभार्य है (अनुसूची एसआई 1क का योग)		19
20	दर के प्रयोजनार्थ शुद्ध कृनि आय		20
21	कुल आय (18 - 19 + 20) (यदि (18 - 19) उस रकम से अधिक है जो प्रभार्य नहीं है तो लागू हो)		21
22	21 में सम्मिलित अनाम संदान, जिन पर धारा 115खखग के अधीन 30 प्रतिशत की दर पर कर लगेगा (अनुसूची वी सी का घiii)		22
23	अधिकतम सीमांत दरों पर प्रभार्य आय		23

भाग ख- कुल आय पर कर कुल आय पर कर दायित्व की संगणना

1	कुल आय पर संदेय कर		
	क	भाग ख- आय मद के (21 - 22 - 23) पर सामान्य दरों पर कर	1क
	ख	विशेष-दरों पर कर (अनुसूची एसआई का (ii) का योग)	1ख
	ग	भाग ख-कुल आय के 22 पर धारा 115खखग के अधीन अनाम संदानों पर 30% की दर से कर	1ग

	घ	भाग ख-कुल आय के 23 पर अधिकतम (यदि जवाब हां है तो (यदि जवाब हां है तो यह सुनिश्चित)	1घ			
	ङ	कृषि आय पर रिबेट (यदि कुल आय पर कर 18-19 उस अधिकतम रकम से अधिक नहीं है जो कर से प्रभाय है तो लागू हो )	1ङ			
	च	कुल आय पर कर संदाय (1क + 1ख + 1ग + 1घ - 1ङ)		1च		
2	अधिभार				3	
	i	अनुसूची घड का 7(ii) का 25%	2i			
	ii	पर [1च -अनुसूची घड का 7(ii)]	2ii			
	iii	कुल (i + ii)		2iii		
3	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर 4% की दर पर (1च+ 2iii)				3	
4	सकल कर दायित्व (1च+2iii +3)				4	
5	कर राहत					
	क	धारा 90/90क ( अनुसूची कर 2 विवरणी)	5क			
	ख	धारा 91 (अनुसूची कर 3 विवरणी )	5ख			
	ग	कुल (5क+5ख)		5ग		
6	शुद्ध कर दायित्व (4-5ग)				6	
7	देय फीस और ब्याज					
	क	विवरणी प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम के लिए ब्याज (धारा 234क)	7क			
	ख	अग्रिम कर के संदाय में व्यतिक्रम के लिए ब्याज (धारा 234ख)	7ख			
	ग	अग्रिम कर के आस्थगन के लिए ब्याज (धारा 234ग)	7ग			
	घ	आय की विवरणी देने में व्यतिक्रम के लिए फीस (धारा 234घ)	7घ			
	ङ	संदेय कुल ब्याज और फीस (7क+7ख+7ग + 7घ)		7ङ		
8	कुल दायित्व (6+7ङ)				8	
9	संदत्त कर					
	क	अग्रिम कर (15क का स्तंभ 5)	9क			
	ख	स्रोत पर कर की कटौती (15ख का स्तंभ 9)	9ख			
	ग	स्रोत पर कर का संग्रहण (15ग का स्तंभ 9)	9ग			
	घ	स्वतः कर निर्धारण (15क का स्तंभ 5)	9घ			
	ङ	कुल संदत्त कर (9क+9ख+9ग+9घ)		9ङ		

10	संदेय रकम (यदि 8, 9ड से अधिक है तो 12 प्रवि-ट करें अन्यथा 0 प्रवि-ट करें)					10	
11	प्रतिदाय (यदि 9ड, 8 से अधिक है), (प्रतिदाय, यदि कोई है, तो बैंक खाते में सीधे जमा करा दिया जाएगा)					11	
12	धारा 115नड के अंतर्गत ब्याज सहित 115नघ आय पर देय निवल कर (अनुसूची 115नघ का क्रम संख्या 12)					12	
13	क्या आपका भारत में बैंक खाता है (भारत में बिना किसी बैंक खाते के प्रतिदाय का दावा करने वाले अनिवासी नहीं का चयन कर सकते हैं)					हां अथवा नहीं का चयन करें	
क) पूर्व वर्ष के दौरान किसी समय भारत में धारित सभी बैंक खातों के ब्यौरे (डोरमेट खातों को छोड़कर)							
क्र. सं.	भारत में धारित बैंक खातों की दशा में बैंक का आईएफएस कोड	बैंक का नाम	खाता सं.	डिजिटल रसीद/सुगतान हेतु प्रयोग किए खातों को इंगित करें	उस खाते को इंगित करें जिसमें आप क्रेडिट किए गए अपने प्रतिदाय का पाना पसंद करेंगे( प्रतिदाय के लिए एक खाते को <input checked="" type="checkbox"/> करें )		
i							
ii							
नोट:							
1. प्रतिदाय क्रेडिट के लिए न्यूनतम एक खाते का चयन होना चाहिए।							
2. प्रतिदाय के मामले में, प्रतिदाय क्रेडिट के लिए नानाविध (मल्टीपल) खातों का चयन किया जाता है तब प्रतिदाय विवरणी का संसाधन के बाद सीपीसी द्वारा निर्णित खातों में से एक खाते में क्रेडिट किया जाएगा।							
यथा अपेक्षित पंक्तियां बढ़ाई जा सकती हैं							
ख) अनिवासी, जो आयकर प्रतिदाय का दावा कर रहे हैं और उनका भारत में कोई बैंक खाता नहीं है, वे अपने विकल्प पर एक विदेशी बैंक खाते का ब्यौरा प्रस्तुत करें:							
क्र. सं.	एसडब्ल्यूएफटी कोड	बैंक का नाम	देश की अवस्थिति	आईवीएएन			
14	क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय					<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	
(i) भारत के बाहर स्थित कोई आस्तियां (जिसके अंतर्गत किसी सत्ता में वित्तीय हित सम्मिलित है) को हिताधिकारी स्वामी, हिताधिकारी या अन्यथा के रूप में धारित करते हैं।							
(ii) भारत के बाहर स्थित किसी एकाउन्ट में हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं; या							
(iii) भारत के बाहर किसी स्रोत से आहें? (निवासी के मामले में ही लागू) (यदि उत्तर हां है, तब अनुसूची च क को भरना सुनिश्चित करें)							
15	अनुसूची-आयकर						
क	अग्रिम कर और स्वतःनिर्धारण के संदायों के ब्यौरे						
क्र. सं.	बीएसआर कोड	जमा करने की तारीख (तारीख/मास/वर्ग)	चालान की क्रम संख्या	रकम (रुपए में)			
i							
ii							
iii							
iv							
v							
vi							
टिप्पण	भाग ख-टीटीआई की क्रम सं0 13क और 13घ में कुल अग्रिम कर और स्वतः निर्धारण कर का योग प्रवि-ट करें।						

बैंक खाता

कर संदाय

ख												
स्रोत पर कर कटौती के ब्यौरे [कटौतीकर्ता(कटौतीकर्ताओं) द्वारा जारी प्ररूप (टीडीएस) प्ररूप 16 क या प्ररूप 16ख/16ग के अनुसार]												
क्र.सं०	स्वयं/ अन्य व्यक्ति [नियम 37खक(2) के अनुसार अन्य व्यक्ति]	अन्य व्यक्ति का पैन/ आधार (यदि टीडीएस क्रेडिट अन्य व्यक्ति से संबंधित है)	कटौतीकर्ता का टैन/ किराएदार/ क्रेता का पैन/ आधार	अग्रेपित अदावाकृत टीडीएस	चाहू वित्तीय वर्ष का टीडीएस (वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान काटा गया टीडीएस)	इस वर्ष दावा किया जा रहा टीडीएस क्रेडिट (केवल तभी जब तत्स्थानी आय कर के लिए आमंत्रित की गई है)	प्रस्तुत की गई तदनुसूची रिसीट	अग्रेपित टीडीएस क्रेडिट				
(1)	(2)	(3)	(4)	वित्तीय वर्ष जिसमें कटौती की गई	अग्रेपित टीडीएस	स्वयं कटौती	नियम 37खक(2) के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति के हाथों में काटा गया (यदि लागू हो)	स्वयं के हाथों में दावा की गई	नियम 37खक(2) के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति के हाथों में दावा किया गया (यदि लागू हो)	कुल रकम	आय का शीर्ष	(13)
							आय टीडीएस		आय टीडीएस पैन/ आधार			
i												

टिप्पण भाग ख अन्वय के 9ख में स्तंभ 9 का योग प्रविष्ट करें

ग								
स्रोत पर कर के संग्रहण का ब्योरा [संग्रहणकर्ता द्वारा जारी किए गए प्ररूप 27घ के अनुसार]								
क्र.सं.	संग्रहणकर्ता का कर कटौती और कर संग्रहण एकाउंट नंबर	संग्रहणकर्ता का नाम	अग्रणीत अदावाकृत स्रोत पर कर संग्रहण रकम		वर्तमान वित्तीय वर्ष का स्रोत पर संग्रहित कर	(5) और (6) में से इस वर्ष में दावाकृत रकम केवल यदि तत्स्थानी आय पर इस वर्ष कर दिया जा रहा है	(5) या (6) में से अग्रणीत की गई रकम	
			वित्तीय वर्ष जिसमें टीडीएस संग्रहित किया जाता है	अग्रणीत रकम				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
i								
ii								

आय के स्रोत पर संग्रहित कर

टिप्पण कृपया भाग ख टीटीआई के 9ग में स्तंभ (7) योग प्रविष्ट करें

मैं, \_\_\_\_\_ पुत्र/पुत्री \_\_\_\_\_, सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता/करती हूँ कि इसके साथ संलग्न विवरणी और अनुसूचियों, विवरणों आदि में दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सही और पूरी है।

मैं यह और घोषणा करता/करती हूँ कि मैं यह विवरणी अपनी ..... की हैसियत में दे रहा/दे रही हूँ और मैं इस विवरणी को देने और उसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूँ। मेरा स्थायी खाता संख्यांक ..... है (यदि आबंटित हुआ हो) (कृपया अनुदेश देखें)।

मैं यह और घोषणा करता हूँ कि करार में विनिर्दिष्ट आलोचनात्मक धारणाओं का समाधान कर दिया है और करार की सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन कर दिया है (उस दशा में, जहां धारा 92गघ के अधीन विवरणी दाखिल किया जाना लागू हों)

स्थान

तारीख

यहां हस्ताक्षर करें →